

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2016/माघ 30, 1937

No. 55]

NEW DELHI FRIDAY, FEBRUARY 19, 2016/MAGHA 30, 1937

वाणिज्य विभाग

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2016

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय : चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलैस स्टील के कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों से संबंधित प्रवंचना रोधी जांच की शुरूआत।

सं. 14/1/2014-डीजीएडी: मै. जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड, नई दिल्ली ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है), के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विचाराधीन उत्पाद" (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है), जिसके अंतर्गत यथा परिभाषित स्टेनलैस के कुछ कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्कों पर आरोपित प्रवंचना करने से संबंधित प्रवंचना रोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया है।

और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तुओं पर लागू किए जाने वाले पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए उक्त नियमावली के नियम 26 (1) के अनुसार पाटनरोधी शुल्कों की आरोपित प्रवंचना की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित प्रवंचना की मौजूदगी, मात्रा

और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा प्रवंचना वाले उत्पादों पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की आवश्यकता की जांच की जा सके।

क. घरेलू उद्योग

1. आवेदन पत्र मै. जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड (जिसे आगे घरेलू उद्योग अथवा आवेदक भी कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जोकि संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है। रिकॉर्ड पर उलब्ध सूचना के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक का प्रमुख अंशदान है और साथ ही उसे विगत जांच में घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

2. इस समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

“सभी श्रृंखलाओं के 600 एम.एम. से लेकर 1250 एम.एम. की चौड़ाई के स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद, जिसे आगे कोल्ड रोल्ड (जिसमें कोल्ड कम किया गया है) से अधिक निर्मित नहीं किया गया है, जिसकी मोटाई 4 एम.एम. तक है (जिसकी चौड़ाई की सहनशीलता मिल एज्ड के लिए + 30 एम.एम. और टर्मिनल एज्ड के लिए + 4 एम.एम. है)” जिनमें निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं :-

- (1) 1250 एम.एम. (सहनशीलता सहित) से अधिक चौड़ी संबद्ध वस्तुएं।
- (2) ग्रेड्स एआईएसआई 420 हाई कार्बन, 443, 441, ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 और ईएन 1.4509।
- (3) कम निकिल युक्त क्रोमियम-निकल मैगनीज-कॉपर आस्टेनैटिक स्टेनलैस स्टील युक्त वस्तुओं के संबंध में भारतीय पैटन सं. 223848 के अंतर्गत आपूर्ति किए गए उत्पाद और चीनी ताइपेई (ताइवान) के मैसर्स जीहे यूनाइटेड स्टील कॉर्प. (युस्को) द्वारा निर्मित और आपूर्ति किए गए परिचायक ग्रेड वाईयू-1 और वाईयू-4

विचाराधीन उत्पाद

3. जांच के अधीन ऐसे उत्पाद जिन पर यह आरोप लगाया गया है कि वे पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना कर रहे हैं, उपरोक्त पैराग्राफ-1 में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के समान विनिर्देशन वाले स्टेनलैस स्टील के कोल्ड-रोल्ड फ्लैट उत्पाद हैं लेकिन उनकी चौड़ाई विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल और परिभाषित किए गए उत्पादों से अधिक है। विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत आने वाले इन उत्पादों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय-72 के अंतर्गत उसी उप-शीर्ष 7219.31, 7219.32, 7219.333, 7219.34, 7219.35 और 7219.90 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह इस जांच के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद में जोकि आरोपित प्रवंचना की विषय वस्तु है, पाटनरोधी शुल्कों के अध्वधीन उत्पाद की अनिवार्य और मूल विशेषताएं निहित हैं। इनमें एकमात्र अंतर उनकी चौड़ाई का है।

ग. मौजूदा उपाय

4. समय-समय पर संशोधित दिनांक 20.2.2010 की अधिसूचना सं. 14/20/2010 द्वारा और बाद में दिनांक 11.12.2015 की अधिसूचना सं. 61/2015 द्वारा मौजूदा पाटनरोधी उपाय लागू किए गए थे, जिनकी प्रवंचना का आरोप लगाया गया है।

घ. आरोपित प्रवंचना के आधार

5. प्रवंचनारोधी जांच करने के लिए मौजूदा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उत्पादों अर्थात् मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की पीयूआई प्रवंचना पर दिनांक 11.12.2015 की अधिसूचना सं. 61/2015 द्वारा लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। आवेदक ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें उसने मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षा द्वारा जांच करने के कारण/प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त शामिल हैं :

- (1) इस आशय का प्रमाण जिससे यह पता चलता है कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात् संबद्ध देशों से किए जाने वाले निर्यात के व्यापार की पद्धति में विशेष परिवर्तन हुए हैं। यह दावा किया गया है कि ऐसे परिवर्तन के लिए शुल्क को लागू करने से भिन्न कोई और कारण अथवा औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
- (2) इस आशय के प्रमाण जिसमें दिए गए कारणों से ऐसा पता चलता है कि 1250 एम.एम. से अधिक चौड़ाई के उत्पादों के आयातों के केवल लगभग 3 प्रतिशत उत्पाद को ही वास्तव में प्रयुक्त किया गया है और उसमें इसकी प्रयुक्ति तथा आयातों के शेष 97 प्रतिशत को केवल स्लिटिंग के बाद प्रयुक्त किया गया है।
- (3) इस आशय के प्रमाण जिससे यह सिद्ध होता है कि मूल्य संवर्धन से जांचाधीन उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित करके उसकी सीमा को नियमावली 25(1) (ख) में यथानिर्धारित 35 प्रतिशत से कम करना है।
- (4) इस आशय के प्रमाण जिससे पता चलता है कि व्यापार की पद्धति में ऐसे परिवर्तन से भारत में किए जाने वाले स्लिटिंग प्रचालन को रोकना है, जिसमें ग्राहकों द्वारा अंतिम रूप से प्रयुक्त किए जाने से पहले जांचाधीन उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है।
- (5) अनुरोध में इस आशय के पर्याप्त प्रथमदृष्टया प्रमाण निहित हैं कि विचाराधीन उत्पाद की कीमतें विगत स्थापित सामान्य मूल्य के प्रसंग में पाटित हैं।

6. इस आशय के प्रमाण कि विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के उपचारी प्रभावों को जांचाधीन उत्पाद के आयातों की अत्यधिक मात्रा के कारण कम माना जा रहा है, से ऐसा प्रतीत होता है कि इसने विचाराधीन उत्पाद के आयातों को प्रतिस्थापित कर दिया है।

ड. प्रक्रिया

7. उपरोक्त के आलोक में यह निर्णय लिया जाता है कि नियम 26 के अनुसरण में एक जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रमाण विद्यमान हैं। यह भी नोट किया जाता है कि नियम 27 के अनुसार प्राधिकारी यह निर्धारण करने के लिए कि पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना विद्यमान है, ऐसी वस्तुओं के आयातों जिन पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना पाई गई है, पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की सिफारिश कर सकते हैं, जोकि नियम 26 के अंतर्गत जांच शुरू करने की तारीख से पूर्व प्रभाव से लागू किए जा सकते हैं।

च. जांच की अवधि

8. आवेदक द्वारा यथा प्रस्तावित जांच की अवधि 1 जुलाई, 2014 से लेकर 30 जून, 2015 (12 महीने) तक थी। तथापि, अभी हाल ही के और अद्यतन आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी ने इस जांच अवधि को 3 महीनों तक बढ़ा दिया है और इसे 1 जुलाई, 2014 से 30 सितंबर, 2015 (15 महीने) तक माना है।

छ. लिप्त देश

9. मौजूदा जांच में लिप्त देश चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका (संबद्ध देश) हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

10. इससे संबंधित ज्ञात निर्यातकों और आयातकों तथा घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सभी संबद्ध सूचना प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें। यदि कोई अन्य पक्षकार इस मौजूदा जांच में भाग लेने का इच्छुक है, तो वह भी निम्नलिखित को लिखित में सूचित कर सकता है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल

5, संसद मार्ग,

नई दिल्ली – 110001

झ. समय-सीमा

11. घरेलू उद्योग से सूचना प्राप्त होने पर ऐसे सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनके पते उपलब्ध हैं, को एक पत्र के माध्यम से यह सलाह दी जाएगी कि वे अपनी टिप्पणियां लिखित रूप में प्राधिकारी को भेजें ताकि वह ऐसे पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर प्राधिकारी को उसके पते पर पहुंच जाएं। ऐसा कोई अन्य पक्षकार जिसका पता उपलब्ध नहीं है, भी अपनी टिप्पणियां/सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर भेज सकता है। ऐसी सूचना हार्ड कॉपी के साथ-साथ सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

12. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष किसी भी प्रकार के निवेदन (जिनमें उनसे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध शामिल हैं) को यदि उसके किसी भाग में "गोपनीयता" का दावा किया गया है, दो पृथक सैटों में प्रस्तुत करना अपेक्षित है :-

- (क) एक सैट पर गोपनीय चिन्हित किया जाए (जिसमें उसका शीर्ष, पृष्ठों की संख्या और सूची आदि शामिल हो) तथा
- (ख) दूसरे सैट में अगोपनीय चिन्हित किया जाए (जिसमें उसका शीर्ष, पृष्ठों की संख्या और सूची आदि शामिल हो)।

13. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" निवेदनों को स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्हों के बिना किसी भी निवेदन को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय समझा जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को यह अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा कि वे ऐसे निवेदनों का निरीक्षण कर सकते हैं। इन दोनों प्रकारों के वृत्तांतों की सॉफ्ट प्रतियां उनकी हार्ड कॉपी के साथ प्रस्तुत करनी अपेक्षित हैं। ऐसे प्रत्येक निवेदन के पांच (5) सैट प्रस्तुत करने अपेक्षित होंगे।

14. गोपनीय वृत्तांत में ऐसी समस्त सूचना निहित होगी जो प्रकृति स्वरूप गोपनीय है और/अथवा अन्य सूचना जिसके बारे में आपूर्तिकर्ता गोपनीय का दावा करता है, सूचना की प्रकृति के अनुसार गोपनीयता के दावे की सूचना

दी गई है और जिनकी अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, तो ऐसी सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे कारण का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता है।

15. अगोपनीय वृत्तांत को गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय वृत्तांत की प्रतिकृति होना आवश्यक है जोकि मुख्यतः सूचीबद्ध अथवा रिक्त (यदि उसकी सूची बनाना व्यावहारिक नहीं है) रूप में होगी तथा उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना होगा जोकि ऐसी सूचना पर निर्भर करता है जिसकी गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय संक्षिप्त विवरण में ऐसे पर्याप्त विवरण निहित होने चाहिए ताकि गोपनीयता के आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के तथ्यों को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, विशिष्ट परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह निर्दिष्ट कर सकता है कि ऐसी सूचना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना संवेदनशील नहीं है तथा ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है ताकि प्राधिकारी उससे संतुष्ट हो सके।

16. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर उसकी गोपनीयता के दावे को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होते हैं कि गोपनीयता का दावा यथोचित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता सूचना को सार्वजनिक बनाने के प्रति अनिच्छुक है अथवा उसको सामान्यकृत रूप से अथवा उसके संक्षिप्त रूप में उसको प्रकट करने को प्राधिकृत नहीं करना चाहता है, तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

17. ऐसे निवेदन को जोकि उसके सार्थक अगोपनीय वृत्तांत के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा गोपनीयता के दावे के उचित कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

18. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के लिए उसकी आवश्यकता पर संतुष्ट होने और उसे स्वीकारने पर उसे ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।

ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ड असहयोग

20. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

Subject : Initiation of Anti-Circumvention investigations concerning imports of Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel originating in or Exported from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA

No. 14/1/2014-DGAD.— M/s. Jindal Stainless Ltd., New Delhi has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995

and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Circumvention Duty on circumvented articles and for determination of injury) Rules, 1995 (herein after referred to as Rules) for initiation of anti-circumvention investigation concerning alleged circumvention of anti-dumping duties imposed on certain Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel as defined under “Product under Consideration” (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA (hereinafter referred to as subject countries).

AND WHEREAS, the Authority having found sufficient prima facie evidence of circumvention of the anti-dumping duties leviable on the subject goods by the subject countries, hereby initiates an investigation into the alleged circumvention of the anti-dumping duties in terms of the Rules 26(1) of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged circumvention and to examine the need to extend the existing antidumping duty to the circumventing products.

A. **Domestic Industry**

1. The application has been filed by M/s Jindal Stainless Limited (hereinafter referred to as the domestic industry or the applicant), major producer of the subject goods. As per the information available on record, the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production and also treated as Domestic Industry in the previous investigations.

B. **Product under Consideration**

2. The product under consideration for the purpose of this review stands defined as follows:

“Cold-rolled Flat products of stainless steel of width of 600 mm upto 1250mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged)”, excluding the following:

- i. *The subject goods of width beyond 1250 mm (plus tolerances).*
- ii. *Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509.*
- iii. *Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).*

Product under Investigation

3. The Product under Investigation alleged to be circumventing the anti-dumping duties are Cold-rolled Flat products of stainless steel of the same description as the Product under Consideration defined in paragraph 1 above but having widths above those described and covered under the scope of the Product under Consideration. These products i.e. product under investigation are also classifiable under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975 under the same sub-heading 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of this investigation. It is noted that the product under investigation which is the subject matter of the alleged circumvention has all the essential and basic characteristics of the product subject to anti-dumping duties. The only difference is in terms of its width.

C. **Existing Measures**

4. The existing anti-dumping measures imposed vide Notification No. 14/2010-Customs dated 20.2.2010 as amended time to time and further by Notification No. 61/2015-Customs dated 11.12.2015, are allegedly being circumvented.

D. **Grounds for Alleged Circumvention:**

5. The present application for anti-circumvention investigation has been filed seeking extension of existing anti-dumping duties levied vide Custom Notification 61/2015 dated 11.12.2015 on the products i.e., PUI circumventing the existing anti-dumping duties. The applicant has furnished a detailed statement setting out reasons / evidence for seeking investigation through review of existing anti dumping duties which, inter alia, includes:

- i. Evidence to show significant changes in the pattern of trade involving exports from subject countries to post imposition of anti-dumping duties on the product under consideration. It has been claimed that there is no due cause or justification other than the imposition of the duty for such a change.
 - ii. Evidences with reasoning to show that only about 3% of the imports of widths above 1250mm is going into a genuine and usage as such and balance 97% of the imports are used only after slitting.
 - iii. Evidences to prove that value addition requires to convert product under investigation to product under consideration is way below the threshold limit of 35% as prescribed in the Rule 25 (1) (b).
 - iv. Evidence to indicate that this change in the pattern of trade appears to stem from a simple slitting operation carried out in India whereby imports of the product under investigation are converted into product under consideration before final usage by the customers.
 - v. The request also contains sufficient *prima facie* evidence that the prices of the product under investigation are dumped in relation to the normal value previously established.
6. Evidence that the remedial effects of the existing anti-dumping duties on the product under consideration are being undermined on account of the significant volumes of imports of the product under investigation appear to having replaced imports of the product under consideration.

E. **Procedure.**

7. In light of the above, it is decided that sufficient evidence exists to justify the initiation of an investigation pursuant to Rule 26. It is also noted that in terms of the Rule 27, the Authority, upon determination that circumvention of anti dumping duty exists, may recommend extension of anti dumping duty to imports of articles found to be circumventing an existing anti dumping duty may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation under Rule 26.

F. **Period of Investigation:**

8. The Period of investigation, as proposed by the applicants, was from 1st July 2014 to 30th June 2015 (12 months). However, to make required analysis on the basis of more recent and updated data, the Authority has extended the POI by three months and considered it as 1st July 2014 to 30th September 2015 (15 months).

G. **Countries Involved**

9. The countries involved in the present investigations are China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA (subject countries).

H. **Submission of Information**

10. The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Jeevan Tara Building, 4th Floor
5, Parliament Street
New Delhi- 110001**

I. **Time limit**

11. On receipt of information from domestic industry, all interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above

not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

J. Submission of Information on Confidential basis

12. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

(a) One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

13. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

14. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

15. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

16. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

17. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

18. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. Inspection of Public File

19. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

L. Non-cooperation

20. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

A. K. BHALLA, Designated Authority